न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 53/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नैना पिता कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. बादु पिता कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूनाथ पिता हेमानाथ जोगी ना.बा. निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. डालुनाथ पिता हेमानाथ जोगी ना.बा. निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. तारा पुत्री हेमानाथ जोगी ना.बा. निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा जरिये संरक्षक माता सीता बैवा हेमानाथ जोगी
4. सीता बैवा हेमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. मुलनाथ पिता भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. गोरधननाथ पिता भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. भोली बैवा भीमानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 29.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागड मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 166 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 190 रकबा 0.46 हे0, आराजी संख्या 191 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 192 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 196 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.77 हे0 भूमि खाता संख्या 86 मे दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 तक मय नकशा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने घास आदि काटने, मे दरमियान पक्षकारान आपस मेक बराबर सीमा सम्बन्धि विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजियात पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया हे। विपक्षीगण सख्या 1 लगायत 7 प्रार्थीगण कि उक्त अराजात के चारो तरफ के पडोसी होने से उन्है पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थर गढी करवाने बाबत् दिनांक 07.04.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते

है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 166 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 190 रकबा 0.46 हे0, आराजी संख्या 191 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 192 रकबा 0.22 हे0, आराजी संख्या 196 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.77 हे0 भूमि खाता संख्या 86 मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 410/- अक्षरे चार सौ दस रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 410/- अक्षरे चार सौ दस रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बंर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा